न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–81 / 2023–24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

सुखु मुण्डा – विक्रेता

बिरसी तिर्की – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
16.11.23	(see below)	

आदेश

आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सुखु मुण्डा पिता/पति स्व0 पंजाब मुण्डा ग्राम–चिकोर मन्दरू टोली, पो0–भण्डरा, थाना–खूँटी, जिला खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है।

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
चिकोर	93	155	101	0.10

आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सुखु मुण्डा पिता/पति स्व0 पंजाब मुण्डा ग्राम–चिकोर मन्दरू टोली, पो0–भण्डरा, थाना–खूँटी, जिला खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती बिरसी तिर्की पिता/पति एतवा मुण्डा ग्राम–चिकोर मन्दरू टोली, पो0–भण्डरा, थाना–खूँटी, जिला खूँटी को बिक्री करना चाहते/चाहती है।

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिववता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाण पत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0454159142 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 808 दिनांक 02.11.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका के पूर्वजों की खतियानी भूमि है आवेदक पंजी II रैयतों में से एक बालु मुण्डा के पुत्र है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 1 के पृष्ट सं0 105 पर जमाबंदी दर्ज है।

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य एवं एक ही थाना के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 636 दिनांक 12.05.2023 के साथ अंचल

JHCC/2018/1676214 दिनां
अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0— JHCC/2018/1676214 दिनांक 30.01.
18.01.2019 वो एवं आवासीय प्रमाण पत्र सं0— JHLRCO/2022/737870 दिनांक 30.01.
2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया हैं।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 808 दिनांक 02.11.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सुखु मुण्डा पिता/पति स्व0 पंजाब मुण्डा ग्राम—चिकोर मन्दरू टोली, पो0—भण्डरा, थाना—खूँटी, जिला—खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती बिरसी तिर्की पिता/पति एतवा मुण्डा ग्राम—चिकोर मन्दरू टोली, पो0—भण्डरा, थाना—खूँटी, जिला खूँटी के साथ ग्राम चिकोर के खाता सं0 155 खेसरा संख्या 101 कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

16/11/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by ARVIND KUMAR OJHA
Date: 2023.12.02 12:11:17 +05:30
Location: 192.168.1.100